मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल

<u>शिकायत क्र0 क्र0/सी–53/रासूआ/1–5/उज्जैन/2006</u>

श्री योगेश बघेल, शिकायतकर्ता
बी–3, पुलिस ऑफिसर्स क्वार्टर,
देवास (म0प्र0)

<u>विरूद्ध</u>

श्री यू0एस0सिसोदिया,
लोक सूचना अधिकारी एवं
क्षेत्रीय प्रबंधक,
म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम,
313–314, सेठी नगर
जिला उज्जैन (म0प्र0) 456 010

अपीलीय अधिकारी,
म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम,
बीज भवन 36, मदर टेरेसा मार्ग,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) 462 016

आदेश

(दिनांक 05 अप्रेल 2006)

अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है उन्हें आज की सुनवाई के लिये नोटिस भेजा गया था । इस प्रकरण में दो विषय हैं । पहला विषयय अपीलकर्ता से जो फीस ली गई है उससे संबंधित है । अपीलकर्ता से 186 ए–4 साईज के प्रपत्रों की छाया प्रति के लिए रू0 1125/– लिए गए हैं जबकि राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से रूपये 372/– होने चाहिए । श्री यू0एस0सिसोदिया, क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम एवं लोक सूचना अधिकारी उज्जैन का कहना है कि उन्होंने यह फीस निगम की ओर से जो निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ली है । उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो जानकारी देने के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वह फीस ही ली जा सकती है अन्य कोई फीस नहीं ली जा सकती है इसलिये क्षेत्रीय प्रबंधक अपीलकर्ता को शेष राशि वापस करके दिनांक 15 मई 2006 तक प्रतिवेदन दें ।

2 दूसरा विषय प्रक्रिया केन्द्र की सोयाबीन पैकिंग के मस्टर रोल की प्रति देने से संबंधित है । क्षेत्रीय प्रबंधक उज्जैन ने बताया कि मस्टर रोल निगम के द्वारा रखे जाते हैं एवं उनका भुगतान भी निगम के द्वारा किया जाता है । इस मस्टर रोल की प्रति भी अपीलकर्ता को प्रदान की जाये इसके लिये शुल्क रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के अनुसार होगा वह अपीलकर्ता से लिया जाये और अपीलकर्ता से जो अधिक राशि ली गई है उसमें समायोजित की जाये । यह कार्यवाही भी क्षेत्रीय प्रबंधक, उज्जैन पूरी कर 15 मई 2006 तक प्रतिवेदन भेजेंगे ।

इस आवेदन की एक प्रति अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजी जाये ।

सही/–
(टी0एन0 श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
05 अप्रेल 2006